

**लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)**

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 04 / 2023
GCMS NO. : 2023 / 47

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर
समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया बनाम
रोड, बांसवाड़ा

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स:-

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 28-06-2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 04.04.2023 (पोस्टल ऑर्डर नं. 60 एफ 513235) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नहीं करने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 08.06.2023 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 28.06.2023 को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने पत्रांक 40(1) आरटीआई/ 2021/ 218

दिनांक 16.06.2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना पेश कर अवगत

कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2023 से वांछित सूचना दिनांक 05.06.2023 को

**जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)**



अपीलार्थी के निर्धारित शूल्क जमा करवाने पर स्वयं को उपलब्ध करवा दी गई है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। अपील अनुसार अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत दिनांक 04.04.2023 पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह अपील पेश किया जाना जाहिर किया जबकि अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा के पत्रांक 209 दिनांक 03.05.2023 के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित शूल्क जमा कराने पर वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)